न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।

पटवार हल्का थानाराजाजी जरिये तहसीलदार बनाम प्यारेलाल

प्रार्थना पत्र संख्या– 02 / 169 / 2024

03.07.2024

आज यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट का प्रार्थी तहसीलदार राजगढ द्वारा गैरसायलन के विरूद्ध प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आराजी खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ स्थित है। उक्त वर्णित आराजी पर अप्रार्थीगण द्वारा प्लॉटिग, बनाकर अकृषि उपयोग किया जा रहा है। अप्रार्थीगण द्वारा बिना किसी सक्षम स्वीकृति के कृषि भूमि को अकृषि रूपान्तरण कर उपयोग किया जा रहा है। जिससे राज्य सरकार को राजस्व हानि हुई है। मौके पर अब यह भूमि पुनः कृषि करने योग्य नही रही है। अन्त में विवादित आराजी में कृषि भूमि पर प्लॉटिग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अप्रार्थीगण को ताफैसला दावा जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने का निवेदन किया। साथ में शपथ पत्र पेश है।

प्रार्थना पत्र के संबंध में वकील प्रार्थी ने कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर 427 रकबा 0.70 हैक्टर किस्म वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि प्रयोजनार्थ राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक दर्ज है। अतः अप्रार्थीगण को विवादित आराजी पर प्लॉटिग, बनाकर अकृषि व्यवसायिक रूपान्तरण नही करने एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया एवं बहस प्रार्थी पर मनन किया। अतः पृथम दृष्टया प्रार्थना पत्र में अप्राथीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः आगामी तारीख पेशी तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा संख्या 427 रकबा 0.70 हैक्टर वाके ग्राम थाना राजाजी तहसील राजगढ जिला अलवर में कृषि भूमि पर प्लॉटिग, कर प्रश्नगत भूमि का रहन/बेचान ना करें। एवं राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिती बनाये रखें। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब होकर पेश हो। इस संवध में अप्रार्थीगण कोई आक्षेप हो तो दिनांक 13/08/2024 को उपस्थित न्यायालय होकर पेश करें।

(सुश्री सीमा खेतान आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, राजगढ़

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
27/03/25 पत्रावली पेश। वास्ते तलबी व जवाब हेतु दि. 27/5/25 को पेश हो। SDO	
27/5/25 पत्रावली पेश। वास्ते मूलवाद के साथ दि. 04/06/25 को पेश हो। SDO	
04/06/25 पत्रावली पेश। वास्ते मूलवाद के साथ आवश्यक कार्यवाही हेतु दि. 11/06/25 को पेश हो। SDO	
11/06/25 पत्रावली पेश। उभय पक्षकारान उप. मूलवाद प्रा. पत्र दि. 03/06/24 अस्वीकार/खारीज होने के कारण प्रा. पत्र धारा 212 भी खारीज ही किया जाता है। धारा 212 न्यायालय के पूर्व आदेश दि. 03/07/24 को इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति जमा लेखा भण्डार हो। SDO	